कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

क्रमांकGPR/पेपर/32/2/0001/2022/ 2382 **भोपाल, दिनांक** 28/11/2022

निविदा सूचना

वायरो कॉम्बो नोटबुक मुद्रण करने का पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्रिन्टर्स से तकनीकी विवरण में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति करने वाले इच्छुक निविदाकारों से पेपर सहित मुद्रण, बंधन एवं परिवहन सहित कर प्रदाय करने हेतु आई.टी. विभाग की वेबसाईट www.mptenders.gov.in से ऑनलाईन की-ड्रेटस अनुसार निविदाएं दिनांक 08-12-2022 को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

2. ऑनलाईन निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-ड्रेटस अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन हेतु रखा गया है।

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगीं।

नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

Key Dates and Time

1	Bid Closing & last Date & Time Submission on Online.	08-12-2022 upto 12.00 PM
2	Last Date & Time of Submission Hard Copy	09-12-2022 upto 12.00 PM
3	Date & Time of Opening Technical Bids	09-12-2022 upto 1.00 PM

वायरो कॉम्बो नोटबुक तकनीकी विवरण

1	आकार	11 सेमी X 18 सेमी, कव्हर 12 सेमी X 18 सेमी
2	अनुमानित संख्या	50,000 नग
3	पेपर	टेक्स्ड मेटर- प्रथम 3 लीफ 130 जीएसएम आर्ट पेपर, शेष 80 जीएसएम सुपर फाइन मेपलिथो पेपर विथ मिनिमम ब्राइटनेस 85%.
4	कव्हर	मुख्य एवं बैक 280 माइक्रोन्स रिजिट शीट ब्राउन कलर
5	प्रिटिंग	फ्रन्ट कवर पर "मध्यप्रदेश शासन" का लोगो/मोनो गोल्डन कलर में यू.व्ही. कोटिंग से मुद्‌ण होगा। अन्दर के पृष्ठों में मध्यप्रदेश शासन का लोगो। प्रथम 03 लीफ बोथ साईड मल्टीकलर मुद्रण
6	पृष्ठ संख्या	प्रथम 03 लीफ व्हाईट कलर एवं शेष पृष्ठ 80 लीफ (पिंक, यलो, ब्लू एवं व्हाईट कलर) प्रत्येक कलर की 20-20 लीफ।
7	बाईडिंग	12 mm वायरो कॉम्ब बाईडिंग, राउण्ड कट।
8	पैकिंग	5 प्लाई कार्टून (अधिकतम 25 केजी वजन) उस पर मात्रा एवं सामग्री के नाम की पर्ची चस्पा कर प्रदाय करना होगा।
9	प्रदाय स्थल	उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल
10	प्रदाय अवधि	15 दिवस।

निविदा की शर्तें

1. तकनीकी विवरण अनुसार वायरो कॉम्ब नोटबुक मुद्रण की आवश्यकता अर्हता की पूर्ति करने वाले मुद्रकों से आई.टी. विभाग की वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन दरें की-डेटस अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय समाप्ति के पश्चात् किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र राशि रूपये 2,000.00 एवं प्रोसेसिंग फीस/सर्विस टैक्स का भुगतान ऑनलाईन किया जाकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
3. EMD राशि रूपये 25,000.00 का ऑनलाईन भुगतान आई.टी विभाग के पोर्टल से कराना होगा।
4. तकनीकी विवरण की सामग्री मुद्रण हेतु स्थापित मशीनों का विवरण संलग्न करना होगा। फर्म का स्थापना प्रमाण-पत्र (गुमास्ता) संलग्न करना होगा।
5. निविदाकार को GST एवं PAN नम्बर प्रस्तुत करना होगा।
6. तकनीकी विवरण अनुसार लगने वाली सामग्री जैसे पेपर के नमूनों पर निर्माता मिल का नाम, GSM अंकित करना एवं वायरों, रिजिट शीट के नमूनें संलग्न करना होगा।
7. समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के नमूनें संलग्न करना होगा।
8. तकनीकी विवरण के 2 नमूनें तैयार कर निविदाकार को पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न करना होगा।

9. निविदा की शर्तो पर सहमति निविदाकार को पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. निविदाकार द्वारा पैकिंग, परिवहन एवं अन्य समस्त करों सहित ऑनलाईन दरें प्रस्तुत करना होगा। निविदा में प्रस्तुत दरों के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. सफल निविदाकार को अनुबन्ध निष्पादन करने एवं कुल प्रदाय आदेश राशि की प्रतिभूति का 10% राशि का FDR या बैंक गांरटी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल के पक्ष में 12 माह की अवधि का तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा।

12. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करना एवं प्राप्त न्यूनतम दर को बिना कोई कारण बताए दो या अधिक निविदाकार के बीच आदेश को विभाजित करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक को होगा।

13. सफल निविदाकार को अन्तिम मशीन प्रूफ अनुमोदन के चार दिन पश्चात 2000 नग एडवांस प्रति उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को सौंपी जावेगी। सम्पूर्ण सामग्री का प्रदाय 15 दिवस में उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल (म०प्र०) को करना होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में नियंत्रक को सामग्री प्रदाय की अवधि कम करने या बढ़ाने का अधिकार होगा।

14. यदि आदेशित सामग्री निर्धारित समयावधि में प्रदाय नहीं होने पर विलम्ब के लिए 2% प्रति सप्ताह के मान से शास्ति अधिरोपित की जावेगी। कम मात्रा प्रदाय करने एवं अन्य किन्हीं कारणों पर अधिरोपित शास्ति की वसूली भू-राजस्व की तरह की जावेगीं।

15. मुद्रित की जाने वाली सामग्री की सी.डी. एवं अनुमोदित नमूना निविदाकार को उपलब्ध कराया जावेगा।

15. निविदा की शर्तो से अलग निविदाकार की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

17. फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक की भुगतान योग्य राशि में से नियमानुसार करों का कटौत्रा किया जावेगा तथा प्रस्तुत देयक में GST No. 23AAALD0979P3ZR अंकित करना अनिवार्य होगा।

18. निविदाकार द्वारा ही समस्त करों का वहन किया जावेगा।

19. शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबन्धों या अपरिहार्य परिस्थिति आदि के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है तो लम्बित भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

20. यदि L_1 दर के निविदाकार आदेशित सामग्री प्रदाय नहीं करते है तो L_2 दर के निविदाकार से सामग्री प्रदाय करने हेतु आदेशित करने में नियंत्रक स्वतंत्र होंगे। L_1 दर के निविदाकार से अन्तर की राशि वसूली की जावेगी। L_1 निविदाकार की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी और शासन को हुई हानि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जावेगी।

21. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति के रूप में जमा 10% राशि उनके समस्त प्रकार के कर अदायगी का एक्नॉलेजमेंट/चालान की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने पर ही मुक्त (Relase) की जावेगी।

21. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधान के अन्तर्गत पंच निर्णय हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। पंच निर्णय हेतु आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

नियंत्रक

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

म०प्र०,भोपाल.